संख्याः 42/2015–1545/नौ–5–2015–2बजट/2007टीसी

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
नगरीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2015

विषयः **भारत सरकार द्वारा कियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम. टी. कार्यान्श के अन्तर्गत बरेली नगर की जलापूर्ति परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश व अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि को उ0प्र0 जल निगम के पीएलए से आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– पी0एम0यू0/244/99/2014, दिनांक 11.03.2014 तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– 59(3)/पीएफआई/2013–1494, दिनांक 12.02.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत बरेली नगर की जलापूर्ति परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि ₹ 957.68 लाख तथा रामपुर नगर की रोड एवं फ्लाई ओवर परियोजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि में से ₹ 1561.59 लाख के समायोजन के पश्चात अवशेष धनराशि अर्थात कुल धनराशि ₹ 2519.27 लाख के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश ₹ 314.91 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि **₹ 2834.18 लाख (₹ अट्ठाइस करोड़ चौंतीस लाख अट्ठारह हजार मात्र)** को गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में नगर विकास विभाग के आय–व्ययक में यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत शासनादेश संख्या– 2473/नौ–5–2014–82बजट/14, दिनांक 31.03.2014 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पीएलए खाते में रक्षित धनराशि ₹ 16400.00 लाख से आहरित कर व्यय किये जाने पर निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/उपबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि ₹ लाख में)

क0	परियोजना का नाम	भा/स द्वारा अनुमोदित लागत/ टेण्डर लागत	लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश	अवमुक्त केन्द्रांश/ समायोजित ब्याज की धनराशि	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश	केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	बरेली जलापूर्ति परियोजना	7800.04/ 7796.17	6236.94	957.68	119.71	1077.39
				1561.59	195.20	1756.79
	योग			2519.27	314.91	2834.18

(₹ अट्ठाइस करोड़ चौंतीस लाख अट्ठारह हजार मात्र)

(1) धनराशि का उ0प्र0 जल निगम के पीएलए से आहरण सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि आहरित कर स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) के खाते में रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत परियोजना के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या– 2305/नौ–5–2012–02बजट/07 दिनांक 14.08.2012 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी श
की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों
तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थि
हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वि
नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनि
विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

2– यह आदेश वित्त विभाग विभाग की अशासकीय पंजी संख्या–ई–8–587/दस–201
दिनांक 4 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 42/2015–1545 (1)/नौ–5–2015–2बजट/2007टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मण्डलायुक्त, बरेली।
3– जिलाधिकारी, बरेली।
4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6– महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
7– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8– वित्त (ई–8) अनुभाग/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9– वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11– नियोजन अनुभाग–3/4
12– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।